प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 04.02.2026

- **कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक और सफलता।**
- **थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में नामित मृतक को सकुशल किया गया बरामद।**
- **वादी द्वारा झूठा अभियोग पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में धारा 217/248 बीएनएस0 के तहत रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना गजनेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 347/2025 धारा 302/201/120बी भादवि0 में (नामित मृतक) रज्जन उर्फ जाहिर हसन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम निवियाखेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर हाल पता ग्राम उदईपुर थाना साड़ जनपद कानपुर नगर को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.01.2026 को सकुशल बरामद कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा सगुन पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद कानपुर देहात के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत विपक्षीगण 1.आमिर पुत्र रज्जाक उम्र करीब 28 वर्ष, 2. रज्जाक पुत्र स्व0 महबूब उपरोक्त द्वारा षडयन्त्र के तहत रज्जन उर्फ जाहिर हसन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम निवियाखेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर हाल पता ग्राम उदईपुर थाना साड़ जनपद कानपुर नगर की हत्या कर देने व मृतक के शव को कहीं छिपा देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियोग पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 15.12.2025 को थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 347/2025 धारा 302/201/120बी भादवि0 बनाम 1.आमिर पुत्र रज्जाक उम्र करीब 28 वर्ष, 2. रज्जाक पुत्र स्व0 महबूब उम्र करीब 60 वर्ष निवासीगण ग्राम मंधना थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर पंजीकृत किया गया।

दौरानें विवेचना वादी मुकदमा सगुन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि थाना गजनेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-07/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस बनाम रज्जन उर्फ जाहिर हसन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत है। जिसमें मैंने मृतक रज्जन उर्फ जाहिर पुत्र स्व0 लल्लू उपरोक्त की जमानत ली थी। जिसके बाद मृतक रज्जन उर्फ जाहिर हसन पुत्र स्व0 लल्लू उपरोक्त अपना घर ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात का बेचकर चला गया था। वादी मुकदमा सगुन उपरोक्त द्वारा यह भी बताया गया कि रज्जन उर्फ जाहिर हसन पुत्र स्व0 लल्लू उपरोक्त की षड़यन्त्र के तहत अभियुक्तगण 1.आमिर पुत्र रज्जाक उम्र 28

वर्ष, 2. रज्जाक पुत्र स्व0 महबूब उम्र 60 वर्ष निवासीगण ग्राम मंधना थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर द्वारा मारकर हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया गया।

विवेचना के क्रम में थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा नामित मृतक रज्जन उर्फ जाहिर हसन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम निवियाखेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर हाल पता ग्राम उदईपुर थाना साड़ जनपद कानपुर नगर को दिनांक 29.01.2026 को सकुशल बरामद करते हुए बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व वीडियोग्राफी की गयी व माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस बयान अंकित कराये गये हैं। मुकदमा उपरोक्त में अन्तिम रिपोर्ट सं0 8/2026 दिनांक 03.02.2026 को प्रेषित की गयी है।

वादी मुकदमा सगुन पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा जानबूझकर झूठी व मनगढ़न्त आरोप लगाकर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो जुर्म धारा 217/248 बीएनएस0 का अपराध का होना पाया गया। वादी मुकदमा सगुन पुत्र स्व0 बाबूलाल उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट चालानी अन्तर्गत धारा 217/248 बीएनएस0 माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

बरामद करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जनार्दन प्रताप सिंह
2. निरीक्षक/विवेचक श्री धीरेन्द्र सिंह
3. हे0का0 64 मान बहादुर सिंह
4. हे0का0 161 अनिल कुमार